

## फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय

पत्तापत्री ..... बनाम नारायण.....

२११ / २०१५

आज्ञा धवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5125-	<p>पत्तापत्री पेश हुई। कर्नाल वादी गल व प्रतिवादी गल अनुपातित। न्यायालय समक्ष में कर्नाल वादी व कर्नाल प्रतिवादी को बार-बार आवाजें लगायीं गयीं। कर्नाल वादी व प्रतिवादी गल को कोर्ट से कोर्ट उपस्थित नहीं आया। वादी का वाद अदम्य हाकिमी अदम्य पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्तापत्री दर्प नमूदा ले काम लेगत बाद तत्काल याचिका दायर है।</p> <p style="text-align: center;"> <b>उपखण्ड अधिकारी</b>  <b>जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</b> </p>	